बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

(भाग-1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)।

बृहस्पतिवार, तिथि 7 जुलाई, 1983।

विषय-सूची।

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या 13, 62, 63, 65, एवं 66,	1—9
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 363, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1698, 1699, 1700, 1703, एवं 1704,	10—25
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)—	26—79
दैनिक निबंध।	81-82

टिप्पणी—जिन माननीयों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो रोहतास उद्योग समूह को बीमार घोषित करने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी राज्य मंत्री, उद्योग विभाग—उत्तर स्वीकारात्मक है। दिनांक 14 मई, 1983 को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस इकाई को रुग्न इकाई के रूप में क्रय कर में छूट एवं बिक्री कर के बदले ब्याज रहित ऋण नियमानुसार स्वीकृत किये जाएं।

(2) उत्तर नकारात्मक है। इस उद्योग को रुग्न इकाई घोषित करने से 12.50 करोड़ रुपये का घाटा सरकार को नहीं होगा वरन उनकी इकाईयों में उत्पादन होने से राज्य सरकार को बिक्री कर के रूप में प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि प्राप्त होगी। (सरकार द्वारा जो ब्याज रहित ऋण उन्हें दिया जायेगा वह सुरक्षित ऋण होगा तथा उसकी वसूली कम्पना ही करेगी)।

(3) कम्पनी द्वारा डालमिया नगर की इकाईयों में समुचित रूप से उत्पादन नहीं हो रहा है, जिसके चलते सरकार को बिक्री कर की क्षति हो रही है। इसमें अतिरिक्त यदि उन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता रुग्न इकाई के रूप में नहीं दी गई, तो संभव है कि उनकी इकाईयों में उत्पादन बिल्कुल बंद हो जाए कम्पनी को घाटा हो रहा है ऐसी स्थिति में कम्पना के लगभग 15,000 मजदूर अनियोजित हो जाएंगे, इसीलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें रुग्न इकाई के रूप में उपर्युक्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। में राज्य सरकार के अलावे भारत सरकार के वित्तीय संस्थानों से कपनी के आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु एक बड़ी राशि प्राप्त करेंगे तथा कम्पनी को लाभ में चलायेंगे। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

लेखा नियंत्रक श्री झा द्वारा अग्रिम का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में।

1786. श्री सूर्यनारायण यादव—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कृषि विपणन पर्षद् के श्री आर० के० झा, लेखा नियंत्रक को बजट में प्रावधान नहीं रहने के बावजूद भी पदाधिकारी के कर्ज, वाहन की खरीद, विवाह अग्रिम मोटर साइकिल की खरीद हेतु 7,000 रु० का अग्रिम स्वीकृत किया गया, जिस मद में श्री झा ने दिनांक 6 नवम्बर, 1981 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्रमशः 5000×2000 रु० का दो चेक प्राप्त किया जिसे लेकर श्री झा ने

फ्रेजर रोड स्थित स्टेट बैंक शाखा में अपने खाते में जमा किया है। यदि हां तो सरकार श्री आर० के० झा, लेखा नियंत्रक द्वारा अग्रिम के दुरुपयोग के लिए उनके विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमेश झा—बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद के आदेश संख्या 944, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 से श्री आर० के० झा, लेखा नियंत्रक को 7,000 रु० की राशि मोटर साईकिल क्रय करने के लिए अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गयी। श्री झा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फ्रेजर रोड शाखा, पटना, के विरुद्ध 6 नवम्बर, 1981 के दो चेक से, क्रमशः 5,000 तथा 2,000, कुल 7,000 रु० का भुगतान किया गया। श्री झा ने राशि प्राप्त कर इसे फ्रेजर रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अपने खाता में जमा किया और बाद में मोटर साईकिल का क्रय किया जिसकी संख्या बी० एच० आर०-5167 है।

1981-82 वर्ष के आय-व्ययक में मोटर साईकिल के क्रय मद में 50,000 रु० की राशि स्वीकृत थी, जिसके विरुद्ध उक्त वर्ष में 84,000 रु० की राशि का व्यय हुआ। इसका अनुमोदन पर्षद के निदेशक मंडल की दिनांक 19 अक्टूबर, 1982 को बैठक में दी गयी। उपर्युक्त के आलोक में, अग्रिम के दुरुपयोग तथा श्री झा के विरुद्ध कोई कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता है।

दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई।

1788. श्री अर्जुन राम—क्या मंत्री, लघु सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जिला गिरीडीह अन्तर्गत विरनी प्रखंड के सीमरादाक ग्राम में एक बांध लघु सिंचाई विभाग से वर्ष 1964 में बनी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बांध 1971 के अप्रत्याशित बरसात से टूट गया था;

(3) क्या यह बात सही है कि इनके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को सूचना देकर बांध पुनः बनाने के लिए 1962 में अनुरोध किया गया था;

(4) क्या यह बात सही है कि जन प्रतिनिधि के अनुरोध पर मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृति दिसम्बर, 1982 में प्रदान करने के पश्चात् भी अबतक